

20/11/24

पत्रावली- जैसा छुटे, वकील आशुपुत्र/ वकील कादी
को- आवेदन एवं साक्ष्य कादी के परामर्श आस
दिए गए इतिम आस का दिया जा चुका है।
आद- आद आवेदन लगाई गई, उपस्थित नहीं आए।
पत्रावली आदम हाजिरी/ आदम-पैरवी में शरारत की
जाती है. फौजल शुमाद केका नंबर से काम हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसा

